

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	सुखद सहारा योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्ता महिलाओं को राशि 350 प्रतिमाह पेंशन भुगतान की जाती है।	978600	लगभग 242179 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को राशि रू. 350 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है:- (1) 6-17 आयु वर्ष के निःशक्त बच्चे (जिसमें 6-14 आयु वर्ष के बच्चे अध्ययनरत हो) (2) 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति एवं बौने व्यक्ति	3430800	लगभग 517838 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
3	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए एस.ई.सी.सी.-2011 का स्वतः शामिल सूचकांक तथा वचन सूचकांक के कम से कम एक वचन सूचकांक के साथ वाले परिवार को शामिल करते हुए वृद्धजनों, विधवा/परित्यक्त महिलाओं के लिए राशि रू. 350/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	1701000	293943 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
4	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस को रूपये 20000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।	247200	लगभग 10250 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
5	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60-79 आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 350 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु वाले के लिए रूपये 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	1896742	60-79 वर्ष के 598577 हितग्राही तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के 64870 हितग्राही, इस प्रकार कुल 663447 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
6	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 से 79 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रू. 350/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	701512	172803 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
7	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 79 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु विकलांग व्यक्ति के लिये रू. 500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	124338	32098 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	
8	नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रीक से भुगतान हेतु अनुदान	पेंशन योजनाओं की पेंशन की राशि के भुगतान में पारदर्शिता लाने एवं समय में भुगतान सुनिश्चित करना ।	10000	पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि भुगतान पारदर्शिता लाने एवं समय में भुगतान सुनिश्चित करना	
9	विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना	योजना अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना	62000	<ol style="list-style-type: none"> <li>38 संस्थाओं को अनुदान</li> <li>भवन किराया कुल व्यय 70 प्रतिशत, कार्यालय व्यय 2000/-</li> <li>अंतःवासी के भरणपोषण हेतु रू. 600/- प्रतिमाह</li> <li>कर्मचारियों का वेतन/मानदेय</li> <li>लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 2300</li> <li>भवन किराया का कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रू 2000</li> </ol>	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
10	बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास	23888	बहुउद्देशीय पुनर्वास केन्द्र में 50 बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं देखभाल	
11	फिजिकल रिफरल रिहबिलिटेशन सेंटर की माना में स्थापना	अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना	17203	500 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
12	विश्व विकलांग दिवस	विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान	1400	1. सर्वोत्तम निःशक्त व्यक्ति 5001/- 2. सर्वोत्तम नियोजता (निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) 3. सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- 4. सर्वोत्तम जिला-शिल्ड	
13	प्रमस्तिष्क अंगाघात निःशक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्क अंगाघात (सेलेब्रल पॉलिसी के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना)	9250	सेलेब्रल पॉलिसी के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगी लाभान्वित हितग्राही की संख्या-241 फॉलोअप वर्षभर की संख्या 3164 (सिटिंग मरीज)	
14	प्रमाशक गृह की स्थापना	वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी (जैसे-डिमेशिया) एवं विस्तर पर पड़े व्यक्ति/अंतिम अवस्था में पहुँचे व्यक्तियों के देखभाल के लिए 50 विस्तर वाले प्रमाशक देखरेख गृह की व्यवस्था	4500	25 विस्तर वाले प्रमाशक गृह प्रदेश के समस्त जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।	
15	निःशक्त सामर्थ्य विकास	निःशक्त सामर्थ्य विकास अंतर्गत शारिरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं ट्रायसायकल निःशुल्क प्रदाय किया जाता है	32000	1398 हितग्राही लाभान्वित होंगे ।	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
16	स्थानीय स्तर समिति को सहायता	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जिलों में स्थानीय स्तर पर लोकल कमेटी का गठन	350	जिलों को रु. 20000 का अंशदान दिया जाता है	
17	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा, नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/ बालिकाओं के लिए जशपुर तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोरिया, महासमुन्द एवं कांकेर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना।	260420	450 बच्चों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था	
18	किशोर कल्याण निधि का गठन	किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत गठित किशोर कल्याण निधि से किशोरों के कल्याण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	100	100 किशोरों को पुनर्वास हेतु (प्रति किशोर 10000/-) आर्थिक सहायता देना ।	
19	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	23160	1390 कृत्रिम अंग उपकरण (व्हील चेयर, ट्रायसकल का वितरण) 4103 निःशक्तजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 875 निःशक्तजन को छात्रवृत्ति स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना	
20	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7000	प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभं वित करना।	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
21	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्षण, आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	20000	38 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान । अतःवासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	
22	उत्थान सब्सिडी योजना	निःशक्त जनों को ऋण पर सब्सिडी	1400	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
23	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	43980	500 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	
24	अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएँ (भवन निर्माण)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्था के बाधा रहित भवन निर्माण	3000	बाधा रहित भवन तथा उद्यान निर्माण	
25	तृतीय लिंग समुदाय के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम	तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पृथक से अधिनियम, वास्तविक आकड़ों के संबंध सर्वे, जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि कार्य किये जायेंगे ।	7660	1. छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन 2. राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के वास्तविक आकड़ों के संबंध में सर्वेक्षण । 3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से समन्वय 4. छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार	
26	बुजुर्गों को संरक्षण	बुजुर्गों के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का सुदृढीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्रों की स्थापना	8000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
27	निःशक्तता स्वाभिमान एवं संबल याजना	निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास एवं दीर्घ कालिक आर्थिक अधिकारिता विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता	12000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	
28	अंधमूक बंधियों को वृत्तियां	निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	18850	14000 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	
29	निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान, बौद्धिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक पुनर्वास आर्थिक स्वावलंबन को विकसित करना	1500	माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) सर्वाधिक अंक 5000 एकमुश्त स्नातक/स्नातकोत्तर (कला वाणिज्य विज्ञान) न्युनतम 50 प्रतिशत अंक 6000 एकमुश्त चिकित्सकीय/तकनीकी/व्यवसायिक 50 प्रतिशत अंक 12000 एकमुश्त प्रदान की जाती है	
30	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त सिविल प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन	1500	निःशक्तजन सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रेरित करने आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनका सामाजिक पुनर्वास करना	
31	निःशक्तजनों का प्रशिक्षण एवं ऑनलाईन पंजीयन	निःशक्तजनों का शतप्रतिशत प्रमाणीकरण, पात्र निःशक्तजनों का ऑनलाईन पंजीकरण यूनिक आई.डी. नम्बर प्रदान कर डाटाबेस तैयार करना एवं पर्यवेक्षण	20000	शासन द्वारा लाभान्वित योजनाओं के संदर्भ में एस.एम.एस के माध्यम से आटो अलर्ट प्रेषित किया जाना	
32	निःशक्त विद्यार्थी के लिये छात्रगृह योजना	निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता एवं अध्ययन का अवसर	2000	40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तजन शिक्षण संस्थान से आवेदक का मूल निवास की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो	
33	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं	40000		

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		उन्हें स्वालंबी बनाने हेतु निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई है, एक निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रू. 50,000/- तथा दोनो निःशक्त होने पर रू. 1,00,000/- राशि प्रोत्साहन राशि एकमुश्त देने का प्रावधान है ।		18 वर्ष से 45 वर्ष तक महिलाएं 21 से 45 वर्ष पुरुष(निःशक्त) के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना ।	
34	भारतीय कृष्ट निवारक संघ संस्था को अनुदान	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ जांजगीर में स्वैच्छिक संस्था संचालित	1400	कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	
35	घरौदा	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय प्रदान करने हेतु घरौदा योजना प्रारंभ किया गया है	500	4 संभाग में निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करना	
36	नशाबंदी कार्यक्रम	प्रदेश में नशामुक्ति के पक्ष में मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के विरुद्ध जागरूकता विकसित किया जाना	46116	रैली, पोस्टर, हॉडिंग्स, नाटक, गीत, नृत्य, प्रदर्शनी तथा शासकीय/अशासकीय कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रम	
37	छत्तीसगढ़ योग आयोग	योग आयोग नियम-2017 के नियम 2(23) के अनुसार अपने उद्देश्य की पूर्ती के लिए संभाग, जिले, वि.ख. एवं नगर पंचायत स्तर पर आवश्यक उपाय एवं कदम उठाएगा ।	31500	छत्तीसगढ़ राज्य के जिलावार, विकासखण्डवार एवं सभी 10976 ग्रामपंचायतों में नियमित योगाभ्यास कराया जाना	
38	जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र	निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना	21310	09 जिला निःशक्त केन्द्र स्थापित	